

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 15 / डी - २२

दिनांक:- ८-१-१६

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की 121वीं बैठक दिनांक 04.01.16 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'आ' पर रालग्न है। बैठक में विवार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		121:1	भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की 121वीं बैठक दिनांक 27.10.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक संख्या 113 से 120 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए।	भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की 120वीं बैठक दिनांक 27.10.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 113 से 120 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा शेष प्रकरणों की अविलम्ब अनुपालना करने हेतु उपायुक्तों को निर्देश दिए गए।
2.	अ.आ. (एल पी.सी.)	121:2	राज्य सरकार के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.01.13 व सहकारी समिति के आदेश दिनांक 25.10.13 में विरोधाभास होने से राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने बाबत।	राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक कर्मचारियों को युप हाउसिंग स्कीम के तहत भूखण्ड आवंटन हेतु पत्रावली प्राधिकरण में विचाराधीन है। प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 5366/2012 में दिनांक 19.02.15 को प्राप्ति निर्णय में रायिव जविप्रा को पिटिशनर के प्रार्थना पत्र पर तीन महिने के अन्दर युक्तियुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिये हैं। अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 11.03.15 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 06.04.15 को संबंधित को सूचित किया गया कि नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.01.13 के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार राज्य कर्मचारियों को भूमि का आवंटन युप हाउसिंग के तहत किया जावेगा। जिसके तिए राजस्थान सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत युप हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी बनाई जाकर रजिस्टर्ड करा कर आवेदन करे। अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 30.09.15 को रजिस्ट्रार, राहकारी समितियां, के आदेश दिनांक 25.10.13 की प्रति संलग्न कर समिति के पक्ष में भूमि का आश्वासन पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, के आदेश दिनांक 25.10.13 के बिन्दु संख्या 2 में "किसी भी युप हाउसिंग सोसायटी के पंजीयन हेतु आवंटन पत्र प्राप्त होने पर वह सुनिश्चित किया जावे कि प्रस्तावित सोसायटी के पास युप हाउस बिल्डिंग हेतु शाही भूमि उपलब्ध है अथवा रांबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित समिति के पक्ष में भूमि आवंटन/आवंटन आश्वासन पत्र जारी कर दिया गया है।" का उल्लेख है। राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक कर्मचारी संघ ने ग्राम ड्योडाचोड तहसील बसरी के खसरा नं. 83 या 293 में से 150 बीघा भूमि का आवंटन चाहा है। समिति द्वारा विवार विमर्श कर 150 बीघा भूमि राजस्थान उच्च न्यायालय सहायक कर्मचारी संघ को दिया जाना युक्तियुक्त नहीं गाना। संघ से सदस्यों की सूची प्राप्त की जावे, ताकि भूमि की मात्रा का आकलन किया जा सके।

मेरितो आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			जवाब प्राप्त होने पर अजगेर रोड रिथ्ट आनंद विहार आवारीय योजना के युप हाउसिंग लाइट जो बार एरोसियेशन को प्रतावित किया गया था के आवंटन का आश्यारान पत्र दिया जाए। उपश्चात युप हाउस बिल्डिंग सोसायटी का रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन करने पर आवंटन की कार्यवाही जा सकेगी।
3.	2	121:3	<p>श्री कांची कामाकोटी मेडिकल द्रस्ट, कोयम्बटूर को विद्याधर नगर योजना के सैक्टर नम्बर-6 में भूखण्ड संख्या 6/इंस्टीट्यूशनल/। क्षेत्रफल 8342 वर्गमीटर आई हॉस्पिटल हेतु भूमि आवंटित करने वालत।</p> <p>श्री कांची कामाकोटी मेडिकल द्रस्ट, कोयम्बटूर ने स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट कम्यूनिटी आई केयर हॉस्पिटल हेतु विद्याधर नगर योजना में 8342.6 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में द्रस्ट द्वारा 50 करोड रुपये निवेश करने हेतु राज्य सरकार के साथ दिनांक 13.10.15 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया है। उपायुक्त जोन-2 द्वारा विद्याधर नगर योजना के सैक्टर-6 के भूखण्ड संख्या 6/Institution/। क्षेत्रफल 8342 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 4.5 में चिकित्सा संस्थानों को भूमि आवंटन से पूर्व चिकित्सा विभाग की टिप्पणी प्राप्त करने का प्रावधान है। चिकित्सा विभाग को टिप्पणी मिजवाने हेतु पत्र लिखे जा चुके हैं। किन्तु टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। नविवि की भूमि आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 3.1 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में कम से कम 50 करोड का निवेश करने वाली संस्था को प्रीमियर संस्था माना है। बिन्दु संख्या 3.2 में प्रीमियर संस्थान हेतु भूमि का आकार डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जाने का उल्लेख है। जिसका परीक्षण अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। द्रस्ट द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. व एम.ओ.यू. के अनुसार संस्था प्रीमियर संस्थान की श्रेणी में आती है। आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 1.3 में वेशकीमती भूमि को रियायती दर पर आवंटन नहीं किया जाना चाहिये, उल्लेखित है। चूंकि उक्त भूमि प्राधिकरण में विकसित क्षेत्र की वेशकीमती भूमि है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री कांची कामाकोटी मेडिकल द्रस्ट, कोयम्बटूर को स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट कम्यूनिटी आई केयर हॉस्पिटल हेतु विद्याधर नगर योजना के सैक्टर-6 के भूखण्ड संख्या 6/Institution/। क्षेत्रफल 8342 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि सहित) पर आवंटन की अभिशंषा करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे। चिकित्सा विभाग की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाने वाले पत्र में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी को बुलाने हेतु अनुरोध किया जावे।</p>
4.	9	121:4	<p>श्री रामावतार शर्मा को महाराणा प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वविद्यालय नगर, जगतपुरा के भूखण्ड संख्या 1 से व 200 फीट महल रोड के मध्य भूखण्ड संख्या 1 से लगती हुई 124.88 वर्गमीटर भूमि (Srip of Land) आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त ने उक्त भू-पट्टी ग्राम टीलावाला के खासरा नम्बर 598 का आंशिक भाग बताया है, व भूमि राजस्व रिकार्ड में धी.वी. एण्ड सी आई. रेल्वे के खातेदारी</p> <p style="text-align: right;">उपायुक्त द्वारा महाराणा प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वविद्यालय नगर, जगतपुरा के भूखण्ड संख्या 1 से व 200 फीट महल रोड के मध्य भूखण्ड संख्या 1 से लगती हुई 124.88 वर्गमीटर भूमि (Srip of Land) आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त ने उक्त भू-पट्टी ग्राम टीलावाला के खासरा नम्बर 598 का आंशिक भाग बताया है, व भूमि राजस्व रिकार्ड में धी.वी. एण्ड सी आई. रेल्वे के खातेदारी</p> <p style="text-align: right;">उपायुक्त द्वारा महाराणा प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वविद्यालय नगर, जगतपुरा के भूखण्ड संख्या 1 से व 200 फीट महल रोड के मध्य भूखण्ड संख्या 1 से लगती हुई 124.88 वर्गमीटर भूमि (Srip of Land) आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त ने उक्त भू-पट्टी ग्राम टीलावाला के खासरा नम्बर 598 का आंशिक भाग बताया है, व भूमि राजस्व रिकार्ड में धी.वी. एण्ड सी आई. रेल्वे के खातेदारी</p>


 अर्थात् अपायुक्त (ए.पी.सी.)
 जयपुर विकास प्राधिकरण

			लैण्ड के आवंटन बाबत।	में दर्ज है। उक्ता खसरा नम्बर की भूमि पर जपिंग्रा द्वारा 200 फीट रोड गहल रोड का निर्माण किया जाना व इस रेलवे की भूमि के बदले भारतीय रेलवे को याम भट्टसरी तहसील वर्सी के खसरा नम्बर 109 व 110 की भूमि दिये जाने का निर्णय लिया जाना चाहिए है। उक्ता भूमि का अलग से भूखण्ड सृजित नहीं किया जाना अंकित किया है। समिति की राय में प्रश्नगत भू-पट्टी से लगती 200 फीट रोड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात ही अधिशेष भू-पट्टी योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन की कार्यवाही की जावे। इस क्षेत्र मास्टर विकास योजना-2025 में एण्ड यूज आवासीय निर्धारित है। अतः आवासीय उपयोग ही किया जावे। चूंकि प्रश्नगत भू-पट्टी का क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर से अधिक है। अतः राज्य सरकार से आवंटन करने की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
5.	11	121:5	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री सुशील कुमार गुप्ता को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी-169 के विनिमय में भूखण्ड संख्या सी-383 अंथंवा सी-167 आवंटित किये जाने बाबत।	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री सुशील कुमार गुप्ता को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-169 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर 9 मीटर चौड़ी रोड पर आवंटित किया गया था। योजना के रि-प्लान किये जाने पर उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने से उपायुक्त द्वारा योजना के भूखण्ड संख्या सी-383 व सी-167 प्रत्येक क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर समान रोड चौड़ाई 9 मीटर पर स्थित भूखण्डों में से एक के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एलपीसी की 119वीं बैठक में प्रार्थी का भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु कार्यवाही विवरण में पूर्व भूखण्ड संख्या डी-169 के स्थान पर राहवन से डी-166 अंकित हो गया। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 119वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 119:30 में भूखण्ड संख्या डी-166 के स्थान पर डी-169 पढ़ा जाने का निर्णय लिया।
6.	13	121:6	खातेदार श्रीमति मरका देवी पत्नि स्व. श्री गौरी शंकर जरिये मुख्यारआम अशोक अग्रवाल को अनन्तपुरा आवासीय योजना के कॉर्नर भूखण्ड संख्या 82 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार खातेदार श्रीमति मरका देवी पत्नि स्व. श्री गौरी शंकर जरिये मुख्यारआम अशोक अग्रवाल को निवारु ग्राम में फील्ड फायरिंग रेन्ज हेतु खातेदार की अवाप्तशुदार भूमि के 15 प्रतिशत भूमि मुआवजा स्वरूप दी गयी। प्राधिकरण ने अनन्तपुरा आवासीय योजना सृजित कर उक्त खातेदारों को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये, जिसमें कॉर्नर भूखण्ड भी सम्मिलित थे। इस खातेदार को कॉर्नर भूखण्ड संख्या 82 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। मौके पर भूखण्ड की नाप के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर बढ़ गया है। जिसका पृथक से भूखण्ड सृजित किया जाना सहायक नगर नियोजक की टिप्पणी अनुसार संभव नहीं है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प. 3(543)नविवि/3/2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढ़े हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर + नियमानुसार

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रधान विकास प्राधिकरण, जयपुर

			10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज वसूल करते हुए आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन रत्तर पर मुख्यारनामा आम के प्रभावी होने की जाँच कर पुष्टि करने पर ही आगामी कार्यवाही की जावे।
7.	13	121:7	<p>खातेदार श्री कृष्ण कुमार, गजानन्द, छोटा, कैलाश, रामशरण, गोपाल, राधेश्याम जरिये हकत्याग मुकुट बिहारी को अनन्तपुरा आवासीय योजना के कॉर्नर भूखण्ड संख्या 1 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर का आवंटन करने वाल।</p> <p>उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार खातेदार श्री कृष्ण कुमार, गजानन्द, छोटा, कैलाश, रामशरण, गोपाल, राधेश्याम जरिये हकत्याग मुकुट बिहारी को बैनाड ग्राम में फील्ड फायरिंग रेन्ज हेतु खातेदार की अवाप्तशुदार भूमि के 15 प्रतिशत भूमि मुआवजा स्वरूप दी गयी। प्राधिकरण ने अनन्तपुरा आवासीय योजना सृजित कर उक्त खातेदारों को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये, जिसमें कॉर्नर भूखण्ड भी सम्भिलित थे। इस खातेदार को कॉर्नर भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। मौके पर भूखण्ड की नाप के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर बढ़ गया है। जिसका पृथक से भूखण्ड सृजित किया जाना सहायक नगर नियोजक की टिप्पणी अनुसार संभव नहीं है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प. 3(543)नविवि / 3 / 2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढ़े हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर + नियमानुसार 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज वसूल करते हुए आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन रत्तर पर मुख्यारनामा आम के प्रभावी होने की जाँच कर पुष्टि करने पर ही आगामी कार्यवाही की जावे।</p>
8.	13	121:8	<p>खातेदार श्री कृष्ण कुमार पुत्र भूराम जरिये हकत्याग मुकुट बिहारी को अनन्तपुरा आवासीय योजना के कॉर्नर भूखण्ड संख्या 338 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 67.50 वर्गमीटर का आवंटन करने वाल।</p> <p>उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार खातेदार श्री कृष्ण कुमार पुत्र भूराम जरिये हकत्याग मुकुट बिहारी को बैनाड ग्राम में फील्ड फायरिंग 'रेन्ज हेतु खातेदार की अवाप्तशुदार भूमि के 15 प्रतिशत भूमि मुआवजा स्वरूप दी गयी। प्राधिकरण ने अनन्तपुरा आवासीय योजना सृजित कर उक्त खातेदारों को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये, जिसमें कॉर्नर भूखण्ड भी सम्भिलित थे। इस खातेदार को कॉर्नर भूखण्ड संख्या 338 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। मौके पर भूखण्ड की नाप के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 67.50 वर्गमीटर बढ़ गया है। जिसका पृथक से भूखण्ड सृजित किया जाना सहायक नगर नियोजक की टिप्पणी अनुसार संभव नहीं है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प. 3(543)नविवि / 3 / 2009 दिनांक 13.10.11 में आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढ़े हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानकर भूखण्ड का अविभाज्य हिस्सा माना जाकर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 67.50 वर्गमीटर को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर + नियमानुसार 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज</p>

म्रांति० आयुक्त (एन.पी.सी.)
झयपुर विकास प्राधिकरण, झयपुर

9.	13	121:9	<p>श्री ओमप्रकाश लोहिया को ट्रॉसोर्ट नगर योजना में भूखण्ड राख्या ए 4/370 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर था जिसका मौके की रिपोर्ट के अनुसार 44 वर्गमीटर बढ़ जाने के कारण बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन करने बाबत।</p>
10.	13ए	121:10	<p>सशस्त्र सीमा बल, भारत सरकार को राजस्व ग्राम फाल्यावास, तहसील बस्सी के खसरा नं. 13/1 रकबा 360.06 बीघा में से 150 एकड़ भूमि का आवंटन के स्थान पर 60 एकड़ भूमि का आवंटन करने बाबत।</p>
11.	14	121:11	<p>ग्राम पंचायत लाखना, पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर को जविप्रा की रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या 14/ओ.जे.12 क्षेत्रफल 1250 व.मी. का सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन करने बाबत।</p>
12.	14	121:12	<p>ग्राम पंचायत लाखना, पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर को जविप्रा की रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या 14/ओ.जे.11 क्षेत्रफल 1250 व.मी. का शमशान हेतु आवंटन करने बाबत।</p>

(५)
अन्तिम ग्राम्यकृति (एल ने ली)
जयपुर विकास प्राधिकरण, २५.१२.२०१५

13.	14	121:13	<p>तृप्ति वौहान पुत्री श्री करणी सिंह वौहान को विप्र विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 165 क्षेत्रफल 162 व.मी. में बढ़े हुये क्षेत्रफल 72.00 व.मी. का आवंटन करने वाला।</p>	<p>रखने व इसके संबलन व रख-रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का रखायित जविप्रा का ही रहेगा।</p> <p>उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार तृप्ति वौहान पुत्री श्री करणी सिंह वौहान को विप्र विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 165 क्षेत्रफल 162 व.मी. का आवंटन किया गया था। भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल 72.00 व.मी. अधिक हो जाने से भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 234.00 व.मी. हो गया है। उक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल का अन्य स्वतंत्र भूखण्ड सृजित किया जाना संभव नहीं है। बढ़े हुये क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अंवगत कराया है कि जविप्रा की कार्यकारी समिति की 158वीं बैठक दिनांक 20.12.10 में लिये गये निर्णय अनुसार जविप्रा की योजनाओं में बढ़े हुये क्षेत्रफल का अन्य स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं होने की दशा में बढ़े हुये क्षेत्रफल की राशि की गणना आरक्षित दर जिस पर भूखण्ड आवंटित किया गया है, पर किया जाना उचित है, का निर्णय किया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प.3(543)नविवि/3/2009 दिनांक 13.10.11 में भी आवंटन के समय बताये गये क्षेत्रफल से अधिक-क्षेत्रफल बढ़ जाने व उसका स्वतंत्र उपयोग संभव न होने पर, बढ़े हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड न मानते हुये उक्त हिस्सा भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना है व अधिक क्षेत्रफल को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटित किया जाना उचित माना है। यूके प्रश्नगत प्रकरण में भूखण्ड खसरा सीमा पर होने से क्षेत्रफल बढ़ा है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 165 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 72 व.मी. वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।</p>
-----	----	--------	--	---

बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

14.	13	121:13(1)	<p>श्री अमर सिंह पुत्र श्री सोनाराम मैसर्स राजेश ग्लास फिटिंग वर्क्स को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-3/84 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन वाला।</p>	<p>उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार श्री अमर सिंह पुत्र श्री सोनाराम मैसर्स राजेश ग्लास फिटिंग वर्क्स को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-3/84 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर से बढ़कर 49.62 वर्गमीटर हो गया है। बढ़े हुये क्षेत्रफल 9.62 वर्गमीटर का आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढ़े हुये क्षेत्रफल 9.62 वर्गमीटर को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
15.	2	121:13(2)	<p>Auroveda Integral Foundation, Jaipur को विद्याधर नगर योजना के सैक्टर-7 में हॉस्पिटल हेतु भूमि आवंटन करने वाला।</p>	<p>Auroveda Integral Foundation, Jaipur द्वारा Multispeciality Hospital Medical Training and Research Center & Healing Centers for AYUSH हेतु वैशाली नगर, अजमेर रोड, सीकर रोड, विद्याधर नगर, जगतपुरा में 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में कम्पनी द्वारा 100 करोड़ रुपये निवेश करने हेतु राज्य सरकार के साथ दिनांक 05.11.15 को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। उपायुक्त जोन-2 द्वारा विद्याधर नगर योजना के सैक्टर-7 के भूखण्ड संख्या 7/P-7/Institution/I क्षेत्रफल 6204.06 व.मी. व भूखण्ड संख्या 7/Institution/I/II क्षेत्रफल 6288.25 व.मी. भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है।</p>

अन्तिम आयुक्त (एल.ए.सी.)
विद्याधर नगर, अजमेर

जयपूर विकास

			<p>नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 4.5 में चिकित्सा संस्थाओं को भूमि आवंटन से पूर्व चिकित्सा विभाग की टिप्पणी प्राप्त करने का प्रावधान है। नविवि की भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 3.1 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में कम से कम 50 करोड़ का निवेश करने वाली संस्था को प्रीमियर संस्था माना है। बिन्दु संख्या 3.2 में प्रीमियर संस्थान हेतु भूमि का आकार डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जाने का उल्लेख है। जिसका परीक्षण अतिरिक्त मुख्य संचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. व एम.ओ.यू. के अनुसार संस्था प्रीमियर संस्थान की श्रेणी में आती है। आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 1.3 में बेशकीमती भूमि को रियायती दर पर आवंटन नहीं किया जाना चाहिये, उल्लेखित है। चूंकि उक्त ग्राम प्रांगणकरण में नियन्त्रित दोनों की बेशकीमती नहीं है। आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 8.2 में निजी कम्पनी को आरक्षित दर के 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत पर विकसित भूमि के आवंटन का प्रावधान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर Auroveda Integral Foundation, Jaipur को Multispeciality Hospital Medical Training and Research Center & Healing Centers for AYUSH हेतु विद्याघर नगर योजना के सेक्टर-7 के गुखाड़ संख्या 7/P-7/Institution/I क्षेत्रफल 6204.06 वर्गमी. व भूखाड़ संख्या 7/Institution/I/II क्षेत्रफल 6228.25 वर्गमी. कुल 12492.31 वर्गमीटर भूमि योजना की रांगनामिक आरक्षित दर की 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि सहित) पर आवंटन की अपीशापा करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार प्रत्याव तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे। चिकित्सा विभाग की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाने वाले पत्र में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी को बुलाने हेतु अनुरोध किया जावे।</p>
16.	9	121:13(3)	<p>ईंजीआईएस हैल्थ केयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 273 क्षेत्रफल 16524.91 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।</p> <p>(ए.पी.सी.)</p> <p>अतिं अयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर</p>

			<p>संस्थान की श्रेणी में आती है। आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 8.2 में निजी कम्पनी को आरक्षित दर के 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत पर पिकरित भूमि के आवंटन का प्रावधान है। अतः समिति द्वारा विचार पिमश कर ईजीआईएस हैल्प केयर राविरा प्राइवेट लिमिटेड को हैल्प केयर सर्विस हेतु ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील रागानेर के खसरा नं. 273 क्षेत्रफल 16524.91 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर की 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि सहित) पर आवंटन की अभिशंषा करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे। विकित्सा विभाग की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाने वाले पत्र में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ही विकित्सा विभाग के अधिकारी को बुलाने हेतु अनुरोध किया जावे।</p>
17.	9	121:13(4)	<p>पूरणमल फूला देवी मैमोरियल ट्रस्ट को स्वास्थ्य केयर-स्कील एवं मेडिकल एज्यूकेशन कॉम्पलेक्स हेतु भूमि आवंटन करने वाला।</p>
18.	13	121:13(5)	<p>एम.बी. शिक्षा समिति, जयपुर को साईस टेक सिटी, अचरोल के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 57389.46 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र</p> <p style="text-align: center;"> अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर</p>

			57389.46 वर्गमीटर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रस्तुत किया है। इस संबंध में संरथा द्वारा 110 करोड़ रुपये निवेश करने हेतु राज्य सरकार के साथ दिनांक 13.10.15 को एमओयू हस्ताक्षरित किया है। उपायुक्त जोन-13 द्वारा साईंस टेक सिटी अचरोल के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 57389.46 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विभाग विभाग की भूमि आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 4.5 में विकित्सा संरथानों को भूमि आवंटन से पूर्व विकित्सा। विभाग की टिप्पणी प्राप्त करने का प्रावधान है। नविवि की भूमि आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 3.1 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में कम से कम 50 करोड़ का निवेश करने वाली संरथा को प्रीमियर संरथा माना है। बिन्दु संख्या 3.2 में प्रीमियर संस्थान हेतु भूमि का आकार डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जाने का उल्लेख है। जिसका परीक्षण अतिरिक्त गुरुत्व सचिव, नगरीय विभाग विभाग को अद्यक्षता ने नियम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। संरथा द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. व एमओयू के अनुसार संस्था प्रीमियर संस्थान की श्रेणी में आती है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम.बी. शिक्षा समिति को मेडिकल कॉलेज हेतु साईंस टेक सिटी, अचरोल के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 57389.46 वर्गमीटर भूमि योजना को संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि सहित) पर आवंटन की अभिशंषा करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे। विकित्सा। विभाग की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाने वाले पत्र में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ही विकित्सा विभाग के अधिकारी को बुलाने हेतु अनुरोध किया जावे।
19.	9	121:13(6)	श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व. श्री सुरेश (कीर्ति चक्रधारी) की विधवा को रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या सी-8 के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व. श्री सुरेश कीर्ति चक्रधारी को आवंटन हेतु 220 वर्गमीटर का भूखण्ड उपलब्ध न होने से रामनगरिया विस्तार योजना के कॉर्नर भूखण्ड संख्या सी-8 क्षेत्रफल 193.50 व.मी के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत कीर्ति चक्रधारी या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसकी विधवा को अधिकतम 220 वर्गमीटर तक का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर नियमानुसार देय 220 वर्गमीटर का भूखण्ड उपलब्ध न होने से रामनगरिया विस्तार योजना के कॉर्नर भूखण्ड संख्या सी-8 क्षेत्रफल 193.50 वर्गमीटर को आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर व नियमानुसार 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्जेंज वसूल कर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। कॉर्नर भूखण्ड होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया।
20.	9	121:13(7)	जोन-9 की अनुमोदित निजी खातेदारी योजना में एलपीसी की 117वीं बैठक में आवित सुविधा क्षेत्र को निरस्त करने बाबत।	एलपीसी का 117वीं बैठक में दिनांक 24.06.15 में जोन-9 के निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में सुविधा क्षेत्र की भूमि का 9 प्रकरणों में आवंटन का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन-9 से मूल पत्रावलिया प्राप्त कर अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि उक्त निजी खातेदारी योजनाओं का अनुमोदन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के लागू होने से पूर्व हो चुका था।

आम ग्राम्यकाल (प्राचीन संस्कृति)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 लागू होने से पूर्व अनुगोदित योजनाओं के सुविधा क्षेत्र के आवंटन का स्पष्ट प्रावधान वर्णित नहीं है। अतः समिति द्वारा विवार विमर्श कर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत उक्त योजनाओं में आवंटन का प्रावधान न होने से एलपीसी के निर्णय का निररत करने का निर्णय लिया गया।
--	--	--	--

रिसर्जेन्ट राजस्थान के दौरान जिन प्रकरणों में राज्य सरकार व निवेशकों के मध्य एम.ओ.यू. सम्पादित किये गये हैं। उनकी समीक्षा करने पर यह पाया गया कि भूमि आवंटन के 5 प्रकरण विकित्र॥ रास्थानों से संबंधित है। जिनमें आवेदन पत्र प्राप्त होकर जिप्रा वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये हैं व निर्धारित 15 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। नवीन आवंटन नीति-2015 के बिन्दु रांख्या 4.5 में चिकित्सा संस्थान को भूमि आवंटन से पूर्व संस्था के क्रियाकलापों व प्रस्तावित कार्य की उपयोगिता व आवश्यकता के संबंध में चिकित्सा विभाग की टिप्पणी प्राप्त करने का प्रावधान है। चिकित्सा विभाग को एक प्रकरण में दो बार पत्र लिखा जा चुका है, किन्तु टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा रिसर्जेन्ट राजस्थान के प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। अतः यह निर्णय लिया गया कि इन प्रकरणों में एलपीसी में निर्णय लिया जाकर अतिरिक्त मुख्य सचिव, नवीन दरों की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णयार्थ प्रेषित किया जावे। साथ ही यह भी अनुरोध किया जावे कि उक्त बैठक में ही चिकित्सा विभाग के सक्षम अधिकारी को बैठक में आमंत्रित कर टिप्पणी/सुझाव प्राप्त कर लिया जावे। ताकि रिसर्जेन्ट राजस्थान के अन्तर्गत सम्पादित एम.ओ.यू. को कार्यरूप में परिणित किया जा सके।

एलपीसी की गत बैठकों में राजस्थान आवासन मण्डल व भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान को आवंटित भूमि का रिव्यू किया गया। इन प्रकरणों में राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु लिखा गया है। अब चूंकि नवीन दरों का निर्धारण किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार को नवीन दरों के आधार पर आवासीय आरक्षित दर + 15 प्रतिशत पर आवंटन का प्रस्ताव उपायुक्त जोन-11 व 14 द्वारा भिजवाया जावे।

केन्द्र सरकार के चार विभाग/उपक्रमों के प्रकरणों में एलपीसी द्वारा भूमि का निर्णय लिया जाकर संभांगीय आयुक्त, जयपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो चुकी है। अतः समस्त प्रकरणों में बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पृथक-पृथक पत्र राज्य सरकार को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त की जावे। इस संबंध में कर्वराई उपायुक्त जोन-1, 9 व 13ए द्वारा की जावे।

निजी खातेदारी की आवासीय योजनाओं में 2000 वर्गमीटर से अधिक के सुविधा क्षेत्र के ऐसे गूखण्ड जिनका एण्ड यूज निर्धारित हो चुका है व संबंधित विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु नियत समयावधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे भूखण्डों को नीलामी द्वारा निस्तारण करने के निर्देश विशेषाधिकारी (संसाधन व विकास) को दिये गये। उपायुक्त जोन-7, 8, 9 व 10 द्वारा ऐसे भूखण्डों की सूची विशेषाधिकारी (संसाधन व विकास) को उपलब्ध कराई जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

म्

सदस्य सचिव

अति० आयु. एवं(एल.पी.सी.)

अतिरिक्त आयुक्त(एल.पी.सी.) जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित तो सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन रवास्था अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11. निदेशक(वित्त/आग्रेयांत्रिकी/द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/परिवम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (राराधन विकारा एवं सम्बन्ध), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर.एड.एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजरव.एवं सम्पत्ति नियंत्रण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोग-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12वी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण रखें करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

५५
सदस्य सचिव (प.पी.सी.)
श्रीमुखिरेचिन्नासुक्तु (एकभील्लौ), जयपुर

परिशिष्ट 'आ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

गूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की 121वीं बैठक दिनांक 04.01.16 में उपस्थित
अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह निदेशक (पिता)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राम लाल गुर्जर, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित
10.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन-13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
11.	श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन-14	विशेष आमंत्रित
12.	श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन-15	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित